"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 533] रायपुर, सोमवार, दिनांक 23 नवम्बर 2015— अग्रहायण 2, शक 1937

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6-3/2008/1/एक. — छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न श्रेणी के सेवाओं/पदों पर भर्ती के लिये जारी "राज्य सेवा परीक्षा नियम, 2008" की अधिसूचना क्रमांक एफ 6-3/2008/1/एक, दिनांक 27 अगस्त, 2008 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियम में,-

1. सेवा/पद के श्रेणी के सरल क्रमांक "35. अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त" के स्थान पर निम्नलिखित सरल क्रमांक, शब्द और अंक प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

   "35. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत-द्वितीय"

2. सरल क्रमांक 39. सहायक संचालक, समाज कल्याण विभाग (द्वितीय) के पश्चात् निम्नलिखित सरल क्रमांक, शब्द एवं अंक जोड़ा जाए, अर्थात् :-

   "40. सहायक परियोजना अधिकारी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग-द्वितीय"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2015

क्रमांक एफ 6-3/2008/1/एक. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 6-3/2008/1/एक, दिनांक 20 नवम्बर, 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, सचिव.

Naya Raipur, the 20th November 2015

NOTIFICATION

No. F 6-3/2008/1/One. — The Chhattisgarh Government "State Service Examination Rule" makes following further amendment in the notification No. F 6-3/2008/1/One, issued on 27 August, 2008 for the recruitment in different services/post by Chhattisgarh Public Service Commission.

AMENDMENT

In the said rules,-

1. Serial number "35. Additional Assistant Development commissioner" the heading Class of Service/Post, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :-

   "35. Chief Executive Officer, Janpad Panchayat- Class-II"

2. After serial number 39 under the heading "Class of Service/Post", the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :-

   "40. Assistant Project Officer, Panchayat & Rural Development Department- Class-II"

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
NIDHI CHHIBBER, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.